OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Nitin Singh Bhadauria I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 27-8-18 at time 1:30 p.m at Almora in which application claiming rights **of Quarban** area measuring **3.850 hec.** for the कोटिला–गवाड़ मोटर मार्ग से सुरईखेत तक मिलान of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dwarahat** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

DATE:

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No....................... Dated.........................

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recantation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.850 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of कोटिला–गवाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान **district Almora within jurisdiction of gawan, kotila, Bayela, Faldwadi, Walana and Talli bitholi Village (s) in Dwarahat tahsils.**

It is further certified that:

(d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **3.850** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure................

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES

(f) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

District Collector,
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

Lata/D/mahesh sir/ FRA New(Vinod kumar)

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No........................ Dated..........................

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recantation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 3.850 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of कोटिला–गवाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान **district Almora within jurisdiction of gawan, kotila, Bayela, Faldwadi, Walana and Talli bitholi Village (s) in Dwarahat tahsils.**

It is further certified that:

(g) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 3.850 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure ....

(h) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(i) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Quarban** villages (s) is enclosed as annexure 3.

(j) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(k) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(l) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Nitin Singh Bhadauria
District Collector, Almora

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

प्रारूप—30.2

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अर्न्तगत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

कार्यालय उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, द्वाराहाट

उपखण्ड द्वाराहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत 3.850 हे0 वन भूमि) का लो0नि0वि0 रानीखेत के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील द्वाराहाट) की दिनांक 06/8/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रज़ा अब्बास उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री रज़ा अब्बास उपजिलाधिकारी द्वाराहाट अध्यक्ष

2— श्री [illegible] सिंह बिष्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी [signature] 6/8' सदस्य

3— श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि० द्वाराहाट सदस्य /सचिव [signature]

4— श्री [illegible] सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] सदस्य [signature: Singh]

5— श्रीमती यशोदा बिष्ट बी0डी0सी0 क्षेत्र फल्दाड़ी सदस्य [signature: Bisht]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अर्न्तगत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **द्वाराहाट** परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अर्न्तगत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान परियोजना के निर्माण हेतु **3.850 हे0** वन भूमि **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

6/8/18

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.......... उप जिलाधिकारी
जनपद.......... द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी,अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.......... उप जिलाधिकारी
जनपद.......... द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

Kailash-G.G.I.C. Bhikiyasen Parposal (new)

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्र्तगत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –..गवाड़..........

तहसील ..द्वाराहाट.................. जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्र्तगत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान हेतु (0.280हे0 आरक्षित वन भूमि 3.133 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.437 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 3.850 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ..गवाड़.......... द्वारा दिनांक 13/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ..गवाड़..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गवाड़
वि0खं0 द्वाराहाट

ह0/	ह0/
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित	मुहर सहित

प्रपत्र–23.1

दिनांक 13/07/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जवाड़

क्रम सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम		हस्ताक्षर
(1)	मुन्नी पाण्डे		मुन्नी पाण्डे
(2)	मोहन सिंह		Mohan Singh
(3)	नवीन पाण्डे		नवीन पाण्डे
(4)	कैलाश चन्द		कैलाश चन्द
(5)	जीत सिंह	जीत सिंह	ग्राम प्रधान
(6)	कमला देवी	कमला देवी	
(7)	नन्दी देवी	नन्दी देवी	
(8)	गोपाल सिंह	Gopal Singh	
(9)	भोला राम	भोला राम	
(10)	गीरीश राम		गीरिश राम
(11)	लक्ष्मण सिंह		लक्ष्मण सिंह
(12)	हरीश राम		हरीश राम
(13)	चन्दन राम		[signature]
(14)	सुरेश चन्द्र		[signature]
(15)	चन्दन कुमार		चन्दन कुमार
(16)	दिवान राम		दिवान राम
(17)	हर सिंह		Haren Singh
(18)	मनोज सिंह		मनोज सिंह
(19)	दिवान सिंह		Diwan Singh
(20)	हरीश पाण्डे		H. Pandya
(21)	सन्तोष सिंह		Santosh Singh
(22)	नवीन सिंह		Navin Singh
(23)	पंकज कुमार		पंकज कुमार
(24)	हिम्मत सिंह	[signature]	
(25)	जानकी देवी		जानकी पाण्डे
(26)	कमला पाण्डे		Kamla Pandey
(27)	सुशीला पाण्डे		सुशीला पाण्डे
(28)	रमेश चन्द पाण्डे		रमेश चन्द पाण्डे
(29)	गीरीश पाण्डे		गीरिश चन्द्र पाण्डे
(30)	मनोज पाण्डे		M.K. Pandeya

प्रारूप--30.3

परियोजना का नाम– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अर्न्तगत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –......कोटीला

तहसील द्वाराहाट......... जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अर्न्तगत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान हेतु (0.280हे0 आरक्षित वन भूमि 3.133 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.437 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 3.850 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटीला द्वारा दिनांक 4-8-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोटीला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोटीला
वि०खं० ...
जिला ...

ह0/ ह0/

ग्राम सचिव ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित मुहर सहित

ख्यालीराम

प्रधान
ग्राम पंचायत कोटिला
वि०खं० द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

Kailash-G.G.I.C. Bhikiyasen Parposal (new)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 4-8-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रम सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	त्रिलोक सिंह	
(2)	भूपाल सिंह	
(3)	प्रकाश सिंह	
(4)	जीवन सिंह	
(5)	मदन सिंह	
(6)	कुन्दन सिंह	
7	जमन सिंह	
8	राजेन्द्र सिंह	
9 -	रमेश सिंह	
8	मोहन सिंह	
9	गोपाल सिंह	
10 -	देवेन्द्र सिंह	
11 -	[illegible] सिंह	
(12)	[illegible]	
(13)	[illegible] सिंह अधिकारी	
14	श्याम सिंह	
15	राजेन्द्र सिंह	
16 -	गोपाल सिंह	
(17)	[illegible]	

ग्राम प्रधान

[signature]

प्रधान
ग्राम पंचायत कोटिला
वि०खं० द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –बयेला

तहसील द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान हेतु (0.280हे0 आरक्षित वन भूमि 3.133 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.437 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 3.850 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बयेला द्वारा दिनांक 4/8/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बयेला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्राम पंचायत बयेला
पो0 ओ0 चन्थरिया
क्षेत्र पंचायत द्वाराहाट अल्मोड़ा

Kailash-G.G.I.C. Bhikiyasen Parposal (new)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 4/8/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रम सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जसराम	जसराम
2	चन्दनराम	चन्दन राम
3	भैरवराम	भैरवराम
4	प्रदीप पाण्डे	प्रदीप पाण्डे
5	चन्द्रप्रकाश	चन्द्रप्रकाश

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत बयेला
पो0 ओ0 चन्थरिया
क्षेत्र पंचायत द्वाराहाट अल्मोड़ा

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अर्न्तगत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –फलढाडी

तहसील द्वाराहाट......... जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अर्न्तगत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान हेतु (0.280हे0 आरक्षित वन भूमि 3.133 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.437 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 3.850 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत फलढाडी द्वारा दिनांक 03.8.2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम फलढाडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

Rakesh Tewari
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत फलढाडी
द्वाराहाट
अल्मोड़ा

ह0/
ग्राम सचिव
मुहर सहित

Rakesh Tewari
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत फलढाडी
द्वाराहाट
अल्मोड़ा

बिपिन चन्द्र पन्त
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत फलढाडी
वि0खण्ड द्वाराहाट

ह0/
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रपत्र–23.1

दिनांक 03.8.2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रम सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
		बिपिन चन्द्र पन्त प्रधान ग्राम पंचायत ... ग्राम प्रधान
	काली देवी	काली देवी
	किशुली देवी	किशुली देवी
	पार्वती देवी	पार्वती देवी
	हेमा देवी	हेमा देवी
	सुरेश चन्द्र	दयाल चन्द्र
	रमेश चन्द्र	[illegible]
	डिगेश चन्द्र	[illegible]
	विनीता पन्त	[illegible]
	कमला देवी	राधा देवी
		कमला देवी
		विनीता पन्त
	टीकाराम	टीकाराम

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अर्न्तगत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –....वलना....

तहसील ....द्वाराहाट.... जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अर्न्तगत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान हेतु (0.280हे0 आरक्षित वन भूमि 3.133 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.437 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 3.850 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....वलना.... द्वारा दिनांक ....4-8-18....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....वलना.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/

ग्राम सचिव

मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत वलना
वि0खं0 द्वाराहाट
जिला अल्मोड़ा

ह0/

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

Kailash-G.G.I.C. Bhikiyasen Parposal (new)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 4-8-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रम सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	ख्यालीराम	ख्यालीराम
2.	किशनराम	[signature]
3.	धनसिंह	धनसिंह
4.	दानसिंह	दानसिंह
5.	शान्ती देवी	शान्ती देवी
6.	कमला देवी	कमला देवी
7.	सुनीता देवी	सुनीता
8.	गोपाल राम	गोपालराम
9.	चन्दनसिंह	चन्दनसिंह
10.	नन्दी देवी	नन्दी देवी
11.	सरुली देवी	सरुली देवी
12.	खीमसिंह	खीमसिंह
13.	बचुली देवी	बचुली देवी
14.	बचे सिंह	बचेसिंह
15.	गिरीश राम	गोरा राम
16.	हेमा देवी	हेमा देवी
17.	कालसिंह	[signature]

[signature]

प्रधान
ग्राम पंचायत
पो० ओ०
जिला अल्मोड़ा

प्रपत्र–23.1

दिनांक 4-8-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बिठोली मल्ली

क्रम सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	नाम	हस्ताक्षर
1	प्रकाश चन्द्र	[signature]
2	गोपाल सिंह	[signature]
3	जगदीश सिंह	Jagdish Singh
4	चन्दन सिंह	चन्दन
5		
6	~~जसवन्त~~ सिंह जसोदसिंह	[signature]
7	शिवदा	[signature]
8		
9	मोहन सिंह	मोहन सिंह
10	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
11		
12	श्याम सिंह	Shyam
13	लाल सिंह	लाल सिंह
14		
15	नन्दासिंह	[signature]
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
34		
23		

ग्राम प्रधान

मोहनदेवी

प्रधान,
ग्राम पंचायत मल्ली-बिठोली
पो० ऑ० बिठोली
जि० अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अर्न्तगत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –मल्ली बिठोली (सुरईखेत)

तहसील द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अर्न्तगत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान हेतु (0.280हे0 आरक्षित वन भूमि 3.133 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.437 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 3.850 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मल्ली बिठोली द्वारा दिनांक 4–8–18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मल्ली बिठोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बिठोली
वि0खं0 द्वाराहाट
जिला अल्मोड़ा

ह0/

ग्राम सचिव

मुहर सहित

ह0/ मोहनीदेवी

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत मल्ली-बिठोली
पो0 ओ0 बिठोली
वि0 खं0 द्वाराहाट (अल्मोड़ा)